न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री दुर्गाप्रसाद मीणा R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्याः– 157/2019 निर्णय दिनांक :– 15/6/2023

उनवानी प्रार्थना पत्रः–

शंकरलाल पुत्र गोपाल लाल जाति गुर्जर उम्र 40 वषर्स निवासी कासीर तहसील देवली जिला टोंक राज0

–प्रार्थी–

बनाम

तहसीलदार महोदय देवली जिला टोंक (राज.)

–अप्रार्थी–

उपस्थितिः–

श्री अरविन्द कुमार **तहसीलदार देवली**
अधिवक्ता प्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0 आर0 एक्ट आर.टी.ए बाबत पत्थरगढी किये जाने

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी भूमि खाता संख्या 38 खसरा नम्बर 132 रकबा 0.19 है0, खसरा नम्बर 133 रकबा 0.61 है0, कुल किता 2 कुल रकबा 0.80 है0 वाके ग्राम महाराजपुरा पटवार हल्का निवारिया तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान में स्थित है। उक्त भूमि के सीमा चिन्ह्र मिट चुके है तथा सीमाएं अस्पष्ट हो गई है जिसके कारण मोके पर प्रार्थीगण एवं पडोसी खातेदारों के मध्य उक्त भूमि की सीमा एवं कब्जे को लेकर गंभीर विवाद होने की संभावना है। प्रार्थी नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा कराने को तैयार है। प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार न्यायालय को प्राप्त है। अतः उक्त आराजी बाबत श्रीमान तहसीलदार देवली को नियमानुसार आदेश फरमाया जावे।

अप्रार्थी तहसीलदार देवली की तलबी जारी की गई।

तहसीलदार देवली द्वारा जवाब/रिपोर्ट पेश की जो इस प्रकार हैः– उक्त आराजी आवेदक की खातेदारी में दर्ज है व ख. नं. 133 पर मोके पर कब्जाकाश्त है व ख. नं. 132 पर अशोक कुमार पुत्र बिरधीचन्द जाट सा. आकोड़िया का कब्जा काश्त है।

आवेदक का ख. नं. 132 पर कब्जाकाश्त वाले अप्रार्थी से सीमा विवाद है। आवेदक के जिन खातेदारी से विवाद है उनको पक्षकार नहीं बनाया है। उक्त आराजी के सम्बन्ध में किसी न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त नही है । आवेदक की खातेदारी भूमि की सीमाओं पर राजकीय अतिकमीत भूमि नहीं है। पूर्व में सीमाज्ञान नही करवाया गया है, भूमि ग्राम आकोडित्रया की अन्तर गाम सीमा पर स्थित है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की प्रार्थना की।

पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। तहसीलदार देवली की बिन्दूवार रिपोर्ट अनुसार ख. नं. 132 है0 पर प्रार्थी का कब्जा नहीं है जिस पर पत्थरगढी का आदेश किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। ख. नं. 133 कब्जाकाश्त है, जिसके लिए प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतः तहसीलदार देवली को एतत् द्वारा आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी व पड़ोसी खातेदारान की उपस्थिति में प्रार्थी से नियमानुसार पत्थरगढी/सीमाज्ञान शुल्क राजकोष में जमाकर जमाबन्दी सम्वत **2073–2076** में अंकित खाता संख्या 38 खसरा नम्बर 133 रकबा 0.61 है0 वाके ग्राम महाराजपुरा पटवार हल्का निवारिया तहसील देवली जिला टोंक की विधिवत् पत्थरगढी कब्जा होने पर की जावे अन्यथा उक्त आराजी का सीमाज्ञान कर प्रार्थी को उक्त आराजी की सीमाओ से अवगत करावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। नियमानुसार बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

15/6/23

उपखण्ड अधिकारी
देवली